



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 20 जनवरी, 2026

पौष 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यूओ-16/छ:-पु०-9-2025-1862153

लखनऊ, 20 जनवरी, 2026

अधिसूचना

प०आ०-17

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 218 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतद्वारा निदेश देते हैं कि उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबन्ध सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रभार वाले बलों के सदस्यों के निम्नलिखित वर्ग अथवा श्रेणी पर लागू होंगे, चाहे वे कहीं भी सेवारत हों:-

(क) उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिस कर्मी;

(ख) प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी०ए०सी०) उत्तर प्रदेश के सदस्य।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-16/VI-Pu-9-2025-1862153, dated January 20, 2026:

No. U.O.-16/VI-Pu-9-2025-1862153

Dated Lucknow, January 20, 2026

IN exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 218 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Act no. 46 of 2023), the Governor hereby directs that the provisions of sub-section (2) of the said Section shall apply to the following class or category of the members of the Forces charged with the maintenance of public order, wherever they may be serving:—

- (a) Police personnel of the Uttar Pradesh Police ;
- (b) Members of the Provincial Armed Constabulary (P.A.C.), Uttar Pradesh.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order,
SANJAY PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.